

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
परियोजना वर्ग (आर0एस0डी0-5)
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:- २१५ / 38पी0जे0 / आर0एस0डी0-5 / 13

दिनांक:- 21.03.2013

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता

..... क्षेत्र

लो0नि0वि0,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आर0आई0डी0एफ0-19 योजनान्तर्गत नये मार्ग कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आर0आई0डी0एफ0-19 योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को दि0 30.04.2013 तक प्रेषित किये जाने हैं। अतः अनुरोध है कि प्रत्येक जनपद से निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए लगभग रू0 6 से 7 करोड़ लागत के प्रस्ताव संलग्न-12 प्रपत्रों पर जनपदवार गठित कर तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. 500 अथवा उससे अधिक आबादी की 6221 अनजुड़ी बसावटों (जो पी0एम0जी0एस0वाई0 से आच्छादित नहीं हैं) की सूची जनपद के समस्त नोडल खण्डों, अधीक्षण अभियन्ताओं, मुख्य अभियन्ताओं को उपलब्ध करायी गयी हैं तथा यह सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट uppwd.nic.in पर भी उपलब्ध है। कृपया इस सूची में सम्मिलित ऐसी अनजुड़ी बसावटें जो किसी अन्य विभाग द्वारा जोड़ने के लिये अंगीकृत नहीं की गयी हैं तथा जिन बसावटों में अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत या इससे कम है, को ही पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया जाय।
2. प्रस्तावित किये जाने वाले नये मार्गों की लम्बाई 1.00 कि0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।
3. प्रपत्र-7 में प्रस्तावित बसावट हेतु 6221 बसावटों की सूची का क्रमांक भी अंकित किया जाय।
4. प्रदेश के सभी बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी ही प्रदान की जाये पूर्व में यदि कोई बसावट एक तरफ से सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हो तो उसे दूसरी ओर से सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्ताव कदापि प्रस्तुत न किया जाये एवं इस हेतु प्रमाण-पत्र भी दिया जाये कि प्रस्तावित गांव किसी ओर से भी नहीं जुड़ा है।
5. ग्रामीण अंचलों में भी यातायात में उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये मार्ग की चौड़ाई 3.75 मीटर प्रस्तावित की जाय। परन्तु जहाँ पर सीमित भूमि उपलब्ध है अथवा भविष्य में निर्मित सड़क के अन्य मार्ग से जुड़ने की संभावनायें कम हैं या निर्मित सड़क का आखरी छोर Dead End है वहाँ पर Roadway width 6.00 मीटर तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर रखी जा सकती है, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव में समुचित कारण का उल्लेख अवश्य किया जाय।
6. प्रस्तावित किये जाने वाले मार्ग का विस्तृत चैनेज (जहाँ से मार्ग निकालता है इस मार्ग का नाम चैनेज सहित तथा जहाँ तक मार्ग प्रस्तावित है उस ग्राम का नाम) जैसे रा0मा0-24 के चैनेज 194.50 से रामपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 2 से सेरदहा सम्पर्क मार्ग दिये जायें। साथ में एक स्केच प्लान मार्गवार भी संलग्न किया जाये।
7. परियोजना के गठन के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजना में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण कार्य जनपद की किसी योजना/विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं हो जिससे कि बाद में इसके निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न न हो। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तावों में संलग्न किया जाये। असाध्य श्रेणी, दीर्घ सेतु एवं वन क्षेत्रों से आच्छादित ग्रामों/बसावटों को भी प्रस्तावित न किया जाय।
8. प्रस्ताव बनाने के पूर्व प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग का भली भाँति निरीक्षण तथा सर्वेक्षण कर लिया जाये तथा मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई तथा वर्तमान स्तर का निरीक्षण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (ANNEXURE-VI) पर दिया जाये।

9. प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्गत अद्यावधिक परिपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार गठित किये जायें। प्रस्ताव वर्तमान श्युडूलआफ रेट्स के आधार पर गठित किये जाये। इन दरों पर कोई Escalation नहीं लगाया जाय। आगणनों में कन्टीन्जेन्सी, क्वालिटी कन्ट्रोल आदि हेतु 1.00 करोड़ से कम लागत के कार्यों पर कुल 2% एवं 1.00 करोड़ या उससे अधिक लागत के कार्यों पर 1% का ही प्राविधान किया जाये।
10. प्रस्ताव में अधिष्ठान व्यय/लेबर सेस तथा मूल्यहास निधि हेतु अतिरिक्त प्राविधान नहीं किया जाना है। नाबार्ड द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के उपरान्त अधिष्ठान व्यय/लेबर सेस तथा मूल्यहास की धनराशि अलग से सम्मिलित की जानी है।
11. आर0आई0डी0एफ0 योजना के अनुसार मार्ग 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। अतः संलग्न प्रारूप-1 अ के स्तम्भ-9 व 10 में लोन (लागत का 80 प्रतिशत) को 2 वर्षों अर्थात् वर्ष 2013-14 में 40 प्रतिशत व वर्ष 2014-15 में 60 प्रतिशत प्रस्तावित किया जाना है।
12. प्रस्ताव में मार्गवार दरविश्लेषण/बिलआफक्वांटिटी के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों (संलग्न पृष्ठ सं0 1 से 12) पर अतिरिक्त सूचना भी लगायी जायें। प्रस्ताव के प्रतिवेदन में प्रस्ताव/प्राविधानों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय नाबार्ड द्वारा मार्ग कार्यों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों पर प्रदेश स्तर पर संकलित कर मांगे जाते हैं। अतः जनपदवार प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर संकलित करते हुए प्रत्येक जनपद (समस्त खण्डों एवं विधानसभाओं) से एक संकलित प्रस्ताव सी0डी0 सहित 03 प्रतियों में प्रेषित किये जायें।
13. जनपद के मानचित्र पर समस्त प्रस्तावित मार्गों को रेखांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
14. प्रस्ताव में संलग्न दर विश्लेषण पर अधीक्षण अभियन्ता के हस्ताक्षर व सारांश पर मुख्य अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

प्रायः देखा गया है कि एक ही जनपद के अलग-अलग खण्डों के प्रस्ताव अलग-अलग प्राप्त होते हैं, जो मान्य नहीं हैं। खण्डीय स्तर से प्रेषित अथवा विधानसभावार प्रेषित किये गये अलग-अलग प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कृपया सुनिश्चित करलें कि आर0आई0डी0एफ0-19 योजनान्तर्गत एक जनपद से विभिन्न मार्गों का एक ही प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र लो0नि0वि0 की वेबसाईट uppwd.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर जनपदवार प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर से तत्काल किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से इस कार्यालय के आर0एस0डी0-5 खण्ड में दि0 25.04.2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

०५२१३
(चित्रा स्वरूप)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ
दिनांक:- .03.2013

पत्रांक:- /38पी0जे0/आर0एस0डी0-5/13

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0 अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. उपमहाप्रबन्धक (नाबार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, 11, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- 1 ग्राम/बसावट, जो पूर्व में किसी अन्य मार्ग से नहीं जुड़े है तथा जिनके सम्पर्क मार्गों के स्वीकृति लेपन स्तर तक किसी योजना में प्राप्त अथवा प्रस्तावित नहीं है, उन्ही को प्रस्तावित किया गया है।
- 2 प्रस्तावित ग्राम/बसावट को जोड़ने हेतु जिन सम्पर्क मार्गों को प्रस्तावित किया गया है वे किसी अन्य विभाग की किसी योजना में अथवा लो०नि०वि०, की किसी योजना में पूर्व में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है तथा इन प्रस्तावित मार्गों से प्रस्तावित ग्राम/बसावट पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ जायेंगी।
- 3 प्रश्नगत आगणन में मात्राओं का समावेश न्यूनतम एवं अपरिहार्य आवश्यकतानुसार किया गया है तथा आगणन में लगायी गयी दरें यथोचित तथा मानकानुसार हैं।
- 4 प्रश्नगत परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त उसका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 5 प्रश्नगत आगणन जिस योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है उस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का यथावश्यक अनुपालन आगणन के गठन में किया गया है।

अधिशाली अभियन्ता

CERTIFICATE

It is Certified:-

- 1 The Proposed road is required for single Connectivity of village/Habitations.
- 2 That the Existing Status as given for the proposed Road is Correct.
- 3 That the village/Habitations is not connected from/by any other Road, as the proposed Road is New Connectivity for the Habitation concerned.
- 4 That Sufficient Land is available free of cost for connection of the proposed Road.
- 5 That the length of the proposed Road is correct for connecting the first house of the Habitation.
- 6 That the no Price escalation is added up in the cost of project and project is proposed on current schedule of rates.

Executive Engineer

SUMMARY SHEET

State- Uttar Pradesh
Zone/ District-

ANNEXURE-I

S. NO	Name of District	New Connectivity				Up Gradation				Total Cost (In Lac) (4+9)	Average Cost (per Km.) (in Lac)		
		Total length (in Km)	Cost (Including C.D. Works) (in lac)	Average Cost (Per Km)	No. of Villages	No. of S.C/S.T. Villages	- Total length (in Km)	Cost (Including C.D. Works) (In Lac)	Average Cost (Per Km)			No. of Villages	No. of S.C/S.T. Villages
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

E. E

S. E

C. E

RURAL ROAD PROJECT-TECHNICAL DETAILS: RIDF-19

Annexure II

State- Uttar Pradesh

S.No.	Name of Project	District	Category	Existing			Proposed			Increase			Number of CD Works		
				Road Way Width (m.)	Carriage Way Width (m.)	Pavement Thickness (mm)	Status damaged *	Road Way Width (m.)	Carriage Way Width (m.)	Pavement Thickness (mm)	Road Way Width (m.)	Carriage Way Width (m.)		Pavement Thickness (mm)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* Zero to Painting= Zero

* Earth work to Painting= E/W

* Soling to Painting= Soling

*** Proposed Status= B. T.

J.E

A.E

E.E

RURAL ROAD PROJECTS RIDF-19 ANNEXURE V
Details for calculation of Economic Analysis of Road Projects

State- Uttar Pradesh

1	Name of Project	
		2
A	BASIC DATA	
1	Length of road covered under the project	
2	Total investment cost (Rs.lakh)	
3	Operation & Maintenance cost per/km @1% of project cost	
4	No. of village connected	
5	Crop cultivation area covered	
6	Per Ha. Average gross income	
7	Per Ha. Average cost of cultivation	
8	Per Ha. Average net income	
9	Per Ha. Average marketed surplus(30%of average gross income)	
10	incremental Non farm income per village	
11	Passenger car unit per day	
12	reference price for converting PCU in value	
B	BENEFITS DUE TO PROJECT	
1	Agricultural benefits@10% of the net income	
2	Saving in wastage marketed surplus @2% of marketed surplus	
3	Non farm income	
4	Saving in VOC(per day PCUX road length X PriceX 365days)	
5	Total benefit of the project(Rs lakh)(1+2+3+4)	
6	B.C Ratio @15% discount	
7	ERR(%)	
	Total	

E.E

RURAL ROAD PROJECTS UNDER RIDF-19 ITEM WISE COST DETAILS

State- Uttar Pradesh

Annexure. IX

S.No.	NAME OF PROJECT	NAME OF DISTRICT	Status	Length (km)	EARTH WORK in Embankment	Blanket cost	SOLING COAT /WBM-I (45-90mm) or GSB	INTER COAT /WBM-II (45-63mm) 75 mm	TOP COAT /WBM-III (22.4-53mm) 75 mm	Brick Edging	EARTH WORK in patri	Prime Coat	Tack coat	P.C.	Seal Coat	K.M. Stone/Hecto meter stone/Sign board etc	Hume Pipe Culvert (1000 mm)	Gule (350 mm)	Rec culvert/ Raps/ Drain	OTHERS (specify Ex.CC. Road	TOTAL (Rs. Lakh)	Contingency	TOTAL Cost OF Project (Rs.Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				</																			